

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला-दुर्ग

निविदा सूचना

क्रमांक/लो.क.वि./जोन-2/2021

2052

मिलाई, दिनांक

10/3/21

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015/रोड एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015, विद्युत एस.ओ.आर. 01.08.2015 एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नलिखित कार्य क्रमांक 01 से 02 तक दिनांक 01.04.2021 को सायं 5.30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, प्राप्त निविदा दिनांक 03.04.2021 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 25.03.2021 को सायं 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे, एवं क्रमांक 04 हेतु दिनांक 22.03.2021 को सायं 5.30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है, प्राप्त निविदा दिनांक 23.03.2021 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 16.03.2021 को सायं 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत	घरोहर / राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदारों की श्रेणी	फार्म
1	विधायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र.-27 घासीदास नगर में निषाद पारा मंच के पास बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	2.50	2,000.00	750.00	45 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म 'ए' एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
2	विधायक निधि अंतर्गत वार्ड क्र.-16 कैलाश नगर में आर. सी.सी. मंच निर्माण कार्य।	2.50	2,000.00	750.00	45 दिन	'द' एवं प्रवर	फार्म 'ए' एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम
3	मूलभूत सुविधा अंतर्गत वार्ड क्र.-26 हाउसिंग बोर्ड कबालिया के घर के सामने पाथवे संधारण कार्य। (तृतीय निविदा)	2.29	3,000.00	750.00	02 माह	'द' एवं प्रवर	फार्म 'ए' एवं ए.बी.सी. सेड्यूल ऑफ आयटम

नियम एवं शर्तें-1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. घरोहर राशि कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. तथा निविदा प्रपत्र निविदा मूल्य की राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त के नाम पर डी.डी. तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, व्यवसायिक कर प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र, जीवित बैंक सालवेंसी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लिफाफा "क" में प्रस्तुत करना है, एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। 4. कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी। 5. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 6. नगर निगम की वाहनों से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों स जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। निगम क्षेत्र के स्त्रोंतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5% की कटौती की जावेगी। 7. सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि की एफ.डी.आर. नियमानुसार परफारमेंस गारंटी के रूप में संविदा के पूर्व जमा करना होगा। 8. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 09. शपथ पत्र। 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 13. ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिए पहले ठेके निश्चित समय और राशि के पूरा करने में असफल हुए हो, को ठेका नहीं दिया जायेगा। 14. सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित/नोटरी प्रमाणित होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जोन क्र.-02 वैशाली नगर तथा नगर पालिक निगमभिलाई की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in एवं चिप्स की वेबसाईट www.eproc.cgstate.gov.in और bhilai.urbanecg.gov.in से देखी जा सकती है।

जो.ओ.आर.
जोन क्रमांक-02

नगर पालिक निगम, भिलाई